

प्रकरण सं0 30/2021 तारीख दायर :-29.11.2021

दिनांक निर्णय :-16.12.2021

सरकार जरिये पटवारी हल्का सूरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

**बनाम**

मायादेवी पत्नी राजू जाति मीना निवासी ग्राम सूरेर तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व  
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। गैरसायल अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सूरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे गैरसायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत गैरसायल को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस द्वारा तलब किया गया। गैरसायल मायादेवी पत्नी राजू जाति मीना बावजूद तामिल के अनुपास्थित रहा, गैरसायल की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतीत होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का सूरेर के अनुसार राजकीय भूमि पर गैरसायल द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्बत 2078 में बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।


अतः आदेश है कि:- अतिक्रमी मायादेवी पत्नी राजू जाति मीना निवासी ग्राम सूरेर को आराजी ख0न0 660 रकबा 0.11 हे0 किस्म गैर मु0 रास्ता सिवायचक में से 0.01 हे0 पर से वाके ग्राम सूरेर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.00 की 50 गुणा में मु0 50.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सूरेर को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 16.12.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



तहसीलदार  
राजगढ़ जिला अलवर

तहसीलदार  
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22  
के पृष्ठ संख्या...!! पत्र सि. न्य. 50/-  
राशि कायम किये गये।

  
त. रा. लेखाकार